पत्र संख्या-वैट अनुभाग-नियमावली संशोधन/07-08/ **626** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वैट अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ::फरवरी **25** , 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 जारी की गयी है, जिसमें नियम-2, 3, 5, 19, 20 व 24 में संशोधन किये गये हैं। संशोधन के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :-

1. नियम-2 के अंतर्गत ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0नि0) कॉरपोरेट मण्डल को परिभाषित किया गया है।
2. नियम-3 में एक कॉरपोरेट मण्डल में एक से अधिक ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0नि0) नियुक्त होने की दशा में उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्य कर को दिया गया है।
3. नियम-5 में ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0नि0) की अधिकारिता के बारे में संशोधन किये गये हैं तथा धारा 45 व 48 के अधिकार को भी ज्वाइन्ट कमिश्नर (क0नि0) को देने का प्राविधान किया गया है।
4. नियम-19 में हार्डवेयर, मिल स्टोर, दवाओं, जनरल मर्चेण्डाईज, स्टेशनरी, बिजली की वस्तुओं, सिले सिलाए परिधान, मसाले व कन्डीमेन्ट्स के व्यापार से संबंधित वस्तुओं के प्रकार में अत्यधिक विविधता होने के कारण (पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर अध्यादेश के प्रारंभ से पूर्व छ: माह के भीतर की खरीद) मदों का बिल, इनवाइस / कैश मेमो से मिलान में कठिनाई के कारण कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक की मदवार सूची देने में असमर्थता के कारण यह प्राविधान किया गया है कि 31.12.2007 को अन्त होने वाली अवधि के लिए ट्रेडिंग एकाउण्ट के अनुसार अंतिम रहतिया का 55 प्रतिशत की दर से मूल्यांकन करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाएगा। परन्तु व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत धारा-3क या धारा-3डी के अंतर्गत कर की दर या अध्यादेश की धारा-4 के अंतर्गत दी गयी दर में से जो कम होगा, के अनुसार इनपुट टैक्स की गणना की जाएगी।
5. नियम-20 में दि0 1.1.2008 के स्टॉक की इन्वेन्ट्री देने की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गयी है।
6. नियम-24 में यह व्यवस्था की गयी है कि दि0 1.1.2008 के आरंभिक रहतिया के स्टॉक का दावा चौथे माह के बाद शुरू होने वाले टैक्स पीरियड के रिटर्न के स्थान पर पांचवे महीने के बाद प्रारंभ होने वाले टैक्स पीरियड के नक्शे में दावा किया जाएगा।

उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप ऐसे व्यापारी जो हार्डवेयर, मिल स्टोर, दवा, जनरल मर्चेण्डाईज, स्टेशनरी, बिजली की वस्तुएं, सिले सिलाए परिधान, मसाले व कन्डीमेन्ट्स का व्यवसाय करते हैं और जो उपरोक्त नियमों के अंतर्गत आते हैं उनके लिए फार्म-ए 1 निर्धारित किया जाता है, जिसके साथ एक संलग्नक है। इसी प्रारूप में उपरोक्त प्रकार के व्यापारियों को स्टॉक की इन्वेन्ट्री अध्यादेश लागू होने की तिथि से 60 दिन के भीतर दाखिल करनी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इन संशोधनों को अपने अधीनस्था अधिकारियों के साथ साथ सभी अधिवक्ता संघों, व्यापारिक संघो व चाटर्ड एकाउण्टेन्ट संघों को उपलब्ध करायें तथा अपने स्तर से इन संशोधनों का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें, जिससे इसका लाभ व्यापारियों को समय से मिल सके।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

ह0/-

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, व्यापार कर, उ0प्र0,

लखनऊ

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

फार्म - ए 1

हार्डवेयर, मिल स्टोर, दवाओं, जनरल मर्चेन्डाईज़, स्टेशनरी, बिजली के सामान, रेडीमेड गारमेन्ट तथा मसालों व कॉन्डीमेन्ट्स का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए

(उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-18 व नियम-19(1) के खण्ड-अ का उपखण्ड-vii देखें)

दिनांक 1.1.2008 को वैट गुड्स के आरंभिक रहतिये की सूची

व्यापारी का नाम व पता----------

टिन----------

क्र0सं0	वस्तु के वर्ग का नाम	दि0 1.4.2007 को आरंभिक रहतिया	दि0 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की गयी खरीद (अनुलग्नक-1 के अनुसार)	दि0 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की गयी बिक्री	दि0 31.12.2007 को अंतिम रहतिया	स्तंभ-6 में अंकित धनराशि का 55 प्रतिशत	उ0प्र0 व्यापार कर अधि0 में कर की दर	उ0प्र0 वैट में कर की दर	प्रभावी दर	इनपुट टैक्स की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-										
2-										
3-										

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं प्रास्थिति

Document Produced by deskPDF Unregistered ::: http://www.docudesk.com

फार्म-ए 1 का अनुल्नक-1
माल की खरीद की सूची

व्यापारी का नाम व पता----------
टिन----------

क्र0सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	बिल / कैश मेमो आदि का संख्या व दिनांक	टिन	प्रभावी तिथि	वस्तु का नाम	बिल / कैशमेमो आदि की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं प्रास्थिति

Document Produced by deskPDF Unregistered ::: http://www.docudesk.com